uxj ipk;r uknku] ftyk gehjij] fg0i0 d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronuA
vd{k.k vof/k 4@07 l 3@09
Hkkx&,d

1- **xr vd{k.k %&**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी अनिर्णित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु उचित पग उठाये जाऐं तथा अनुपालना से इस विभाग को को अवगत करवाया जाये।

¼d½ **vd{k.k ifronu vof/k 9@63 l io %**

यह अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन गांव पंचायत की अवधि का था जो कि मौके पर उपलब्ध नहीं था। अतः सभी पैरे अनिर्णीत थे।

¼[k½ **vd{k.k ifronu vof/k 9@63 l 05@68**

1.	पैरा 5	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7 (1)(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8	अनिर्णीत
5.	पैरा 9	अनिर्णीत
6.	पैरा 10	अनिर्णीत
7.	पैरा 12(1)(2)	अनिर्णीत
8.	पैरा 13(1से 17)	अनिर्णीत
9.	पैरा 14	अनिर्णीत
10.	पैरा 15	अनिर्णीत
11.	पैरा 16	अनिर्णीत

¼x½**vd{k.k ifronu vof/k 6@68 l 10@74**

1.	पैरा 9	अनिर्णीत

¼?k½ **vd{k.k ifronu vof/k 4@77 l 3@82**

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 10(डी)	अनिर्णीत
3.	पैरा 30(डी ई)	अनिर्णीत
4.	पैरा 30(एफ)	अनिर्णीत
5.	पैरा 32(ए से यू)	अनिर्णीत

6.	पैरा 35	अनिर्णीत
7.	पैरा 36(ए)	अनिर्णीत
8.	पैरा 36(डी)	अनिर्णीत

¼M-½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@82 ls 3@84

1.	पैरा 17	अनिर्णीत
2.	पैरा 27	अनिर्णीत
3.	पैरा 28	अनिर्णीत
4.	पैरा 31	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@84 ls 3@88

1.	पैरा 8	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@88 ls 3@90

1.	पैरा 8	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@90 ls 3@92

1.	पैरा 9(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(1,2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 12(3)	अनिर्णीत

¼>½ vkd{k.k ifronu vof/k 4@92 ls 3@95

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 9(1,2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
4.	पैरा 11	अनिर्णीत

vads{k.k izfrosnu vof/k 4@95 ls 3@2005

1.	पैरा 4	मु 5130रु की राशि चालान संख्या 24/26 दिनांक 23.7.2005 के द्वारा सरकारी कोष/बैंक में जमा करवा दी गई। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7	अनिर्णीत
5.	पैरा 8	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(1)	मु 9254/रु राशि जी.8 संख्या 20/158 दिनांक 19.1.2010 के द्वारा वसूल कर ली गई। अतः पैरे का निपटारा किया गया।
9.	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
10.	पैरा 12	अनिर्णीत
11.	पैरा 13	अनिर्णीत
12	पैरा 14	मु 300/रु की राशि जी.8 संख्या 21/158 दिनांक 19.1.2010 के द्वारा वसूल कर ली गई थी। अतः पैरों का निपटारा किया गया।
13.	पैरा 15	अनिर्णीत
14	पैरा 16	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत
18	पैरा 20	अनिर्णीत
19	पैरा 21	अनिर्णीत
20	पैरा 22	आपत्ति की अनुपालना पूर्व में ही सत्यापित कर ली गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
21	पैरा 23	अनिर्णीत
22	पैरा 24	अनिर्णीत
23	पैरा 25	अनिर्णीत
24	पैरा 26	अनिर्णीत
25	पैरा 27	अनिर्णीत

26	पैरा 28	अनिर्णीत
27	पैरा 29	अनिर्णीत
28	पैरा 30	मु 92/रु की राशि जी.8 संख्या 23/158 दिनांक 19.1.2010 के द्वारा वसूल कर ली गई थी। अतः पैरे का निपटारा कर दिया गया।
29	पैरा 31	अनिर्णीत
30	पैरा 32	अनिर्णीत
31	पैरा 33	अनिर्णीत
32	पैरा 34	अनिर्णीत
33	पैरा 35	अनिर्णीत
34	पैरा 36	अनिर्णीत
35	पैरा 37	अनिर्णीत
36	पैरा 38	अनिर्णीत
37	पैरा 39	अनिर्णीत
38	पैरा 40	अनिर्णीत
39	पैरा 41	अनिर्णीत
40	पैरा 42	अनिर्णीत
41	पैरा 43	अनिर्णीत
42	पैरा 44	अनिर्णीत
43	पैरा 45	अनिर्णीत
44	पैरा 46	अनिर्णीत
45	पैरा 47	अनिर्णीत
46	पैरा 48	अनिर्णीत
47	पैरा 49	अनिर्णीत
48	पैरा 50	अनिर्णीत
49	पैरा 51	म्बतध्म्मंमल आदि आपेक्षित रजिस्ट्रों का अनुरक्षण आरम्भ कर दिया गया है। अतः पैरे का निपटारा किया गया।

vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2005 ls 3@2007

1	पैरा (1)	अनिर्णीत
2	पैरा (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(क)	अनिर्णीत

4	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 3(ड.)(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 3(ड.)(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 3(च)(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 3(च)(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 5(क)(1)	अनिर्णीत
15	पैरा 5(क)(2)	अनिर्णीत
16	पैरा 5(क)(3)	अनिर्णीत
17	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
19	पैरा 5(ग)(2)	अनिर्णीत
20	पैरा 5(ग)(3)	अनिर्णीत
21	पैरा 5(घ)(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 5(घ)(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 5(ड.)(1)	अनिर्णीत
24	पैरा 5(ड.)(2)	अनिर्णीत
25	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
26	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
27	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत
28	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत
29	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत
30	पैरा 5(ट)	अनिर्णीत
31	पैरा 5(ठ)(1)	अनिर्णीत
32	पैरा 5(ठ)(2)	अनिर्णीत
33	पैरा 5(ड)(1)	अनिर्णीत
34	पैरा 5(ड)(2)	अनिर्णीत
35	पैरा 5(ड)(3)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(क)	अनिर्णीत

37	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
38	पैरा 7	अनिर्णीत
39	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
40	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
41	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
42	पैरा 8(4)	अनिर्णीत

Hkkx&nks

2- orZeku vads{k.k %&

अवधि 4/2007 से 3/2009 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, दिनांक 21.12.2009 से 21.1.2010 तक श्री बलदेव राज शर्मा सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षक) व श्री रविन्द्र सिंह कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। आय की विस्तृत पडताल के लिये मास 4/07 व 3/09 तथा व्यय के लिये मास 7/2007 व 8/2008 का चयन किया गया।

3- forh; fLFkfr %&

अवधि 4/2007 से 3/2009 में अपने स्त्रोतों व अनुदानों की वितीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है तथा रोकड वही का बैंक समाधान का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' व 31.3.2009 को निवेश की गई राशियों का विवरण परिशिष्ट ''ग'' पर दिया गया है।

4- vads{k.k 'kqYd %&

अवधि 4/2007 से 3/2009 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क मु 17500/रु आंका गया। सचिव नगर पंचायत नादौन को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैक ड्राफट द्वारा निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 षिमला–9 के नाम प्रेषित करने का अंकेक्षण अधियापना संख्या 2 दिनांक 21.1.2010 के द्वारा अनुरोध किया गया

5. vuqnku %&

अंकेक्षण में पुस्तुत सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व व्यय किये गये अनुदानों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर दिया गया है। इन अनुदानों के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में उपायुक्त से प्राप्त अनुदान क्रम संख्या 1 के विरूद्ध तथा वर्ष 2008–09 राज्य वितीय आयोग से प्राप्त क्रम संख्या 6 व 7 के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग कार्याल्य को नहीं भेजे गये थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

6 ¼d½ e| 4269234@# dh xgdj o n|dkuk ,o Hkouk d fdjk; d :i e cdk;k jkf'k

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ड(1)(2) पर दिया गया है, के अनुसार मु 35,43,000 व मु 7,26,234/रु की राशि 31.3.2009 को क्रमशः गृह कर व दुकानों व भवनों के किराये के रूप में वसूली हेतु लम्बित थी। निदेषक शहरी विकास के पत्र संख्या न्स्ठ.भ्;।द्व;7द्व. 1द्व84.9237 से 9284 दिनांक 20.6. 2001 के अनुसार करों की शत प्रतिषत वसूली के निर्देश जारी किये गये थे तथा विफलता पर सम्बन्धित सचिव को दोषी ठहराया जाना था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी थी एक तो नगर पंचायतों के आय के साधन पहले ही कम है तथा जो है, उनकी भी वसूली दर ठीक नहीं है परिणामस्वरूप इससे नगर पंचायत के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। नगर पंचायत प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि इन राशियों की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जाये।

xg dj

¼[k½ xg dj e of) u djuk

गृह कर न0प0 की आय का मुख्य स्त्रोत है। न0प0 द्वारा अवधि 2004–05 से 10ः की दर से गृह कर लगाया गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या–यू0डी0एच0सी0 (10)–7/98–II दिनांक 17.11.03 के अनुसार न0प0 द्वारा गृह कर में प्रतिवर्ष 1ः की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृह कर की दर 12.5ः की जानी अपेक्षित थी परन्तु न0प0 द्वारा गृह कर में कोई वृद्धि नहीं की गई जो कि अनुदेषों की पूर्ण अवहेलना थी।

अतः न0प0 गृह कर में सरकार के निर्देषानुसार वृद्धि हेतु कार्यवाही करें तथा इस सन्दर्भ में कीगई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित किया जाये।

¼x½ xg dj e vfu;fer NV l 2802@&# dh foÙkh; gkfu

अकेंक्षण के दौरान गृह कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि न0प0 द्वारा चयनित मास 4/07 में गृह कर वसूली में छूट दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी बपजप्रमद बींतजमत पत्र संख्या यू0डी0एच0बी0 15–4/99 दिनांक 26/6/03 के अनुसार गृह कर के बिल जारी होने के 10 दिनों के भीतर यदि गृह कर की राशि जमा करवाई जाती है तो वर्तमान वर्ष के गृह कर में 20ः की छूट का प्रावधान था परन्तु न0प0 द्वारा बिल जारी करने का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप गृह कर की छूट की पुष्टि नहीं हो सकी। उपरोक्त छूट जिन तथ्यों के दृष्टिगत दी गई है स्पष्ट किया जाये अन्यथा छूट प्रदान की गई मु0 2802/–रु की राशि तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणों की विभागीय छानबीन करके प्रदान की गई छूट की सम्बन्धित से वसूली की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये।

okM u0&1

Ø0 l0	uke	ekl	G&8 l[;k	xg dj dh jkf'k	NV dh jkf'k
1	सुरेश कुमार	4/07	35/89	34/–	9/–
2	योगिन्द्र पाल	4/07	24/89	2291/–	163/–
3	रमेश कुमार	4/07	39/89	2282/–	163/–
4	कृष्ण चन्द	4/07	26/89	1364/–	152/–
5	बनवारी लाल	4/07	25/89	371/–	41/–
6	मिलाप चन्द	4/07	33/89	1422/–	158/–
7	विनोद बस्सी	4/07	31/89	266/–	30/–
8	अजय सिँह	4/07	32/89	1006/–	112/–
9	श्री मति सन्तोष	4/07	23/89	686/–	171/–
10	संजय कुमार	4/07	27/89	929/–	103/–
11	विजय कुमार	4/07	28/89	929/–	103/–
12	जोगिन्द्र सिँह	4/07	29/89	1871/–	133/–
okM: u0&1					
13	अजीत सिंह	4/07	20/89	3809/–	952/–
14	कृष्ण जैन	4/07	36/89	7177/–	312/–
				dqy	2802@&#

¼?k½ fdjk;s d: : i e: e0 80]066 : dh gkfu½

न0प0 द्वारा 2005–06 में `मसि पिदंदबपदह स्कीम के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कार्य करके आबंटन किया गया। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31–3–09 को न0प0 की पांच दुकाने खाली थी तथा मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इन दुकानों के किराये की मांग दर्षाई नहीं गई। दुकानों के आवंटन की शर्त 15 के अनुसार जिस दिन दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण होना था उस दिन से लाईसैन्स फीस ली जानी थी परन्तु ऐसा नहीं करने से न0प0 की मु0 80,066/–रु की वित्तीय हानि पहुँचाई गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

Øe l[;k	nqdku u0	ekfld fdjk;k	fuekZ.k iw.kZ gksus dh frfFk	frfFk ftl fnu ls fdjk;s dh ekax dh xbZ	nsjh@ekg	dqy jkf'k
1	9	1000/–	1.6.08	1.5.09	11माह	11000/–
2	19	1000/	1.6.08	20.5.09	11माह	11613/–

		—			19दिन	
3	18	1000 ⁄ —	1.6.08	14.12.09	18माह 13दिन	18420 ⁄ —
4	16	1000 ⁄ —	1.6.08	2.01.2010	19माह 1दिन	19033 ⁄ —
5	11	1000 ⁄ —	1.6.08	मांग नहीं की गई	20माह 31.1.10तक	20000 ⁄ —
						80066@&#

इस प्रकार न0प0 को मु0 80066 ⁄ — रूपये किराये की मांग न करने के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसके अतिरिक्त न0प0 यह भी सुनिर्षिचित करे कि कया अन्य दुकानों के किराये की मांग उस तिथि से की गई है जिस दिन से उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। अतः न0प0 इस बारे में की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

'kjkc dj

¼3½ 'kjkc dj dh olwyh u djuk

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या—यू0एल0बी0एच0सी0 (9)—28 ⁄ 96—1 दिनांक 1—12—99 के अनुसार न0प0 क्षेत्र में बिकने वाली शराब पर एक रूपये प्रति बोतल आबकारी एवं कराद्यान विभाग से न0प0 को प्राप्त होनी थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1—4—07 से 31—3—09 में शराब शुल्क के रूप में कोई राशि नगर पंचायत को प्राप्त नहीं हुई अतः उक्त राषि को आबकारी विभाग से विवरण सहित प्राप्त करके अपेक्षित वसूली अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये तथा भविष्य में यह वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिषचित की जाये।

fctyh 'kqYd

¼p½ fctyh 'kqYd dh olwyh u djuk

हि0प्र0 सरकार के अधिसुचना संख्या रैल्.क;1द्ध.9द्ध94 दिनांक 24 ⁄ 8 ⁄ 2000 के अनुसार न0प0 परिधि में खप्त होने वाली बिजली में एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग से नगर पंचायत को प्राप्त होनी अपेक्षित थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1 ⁄ 10 ⁄ 08 से 31 ⁄ 3 ⁄ 09 के दौरान न0प0 परिधि में खप्त होने वाली बिजली की उक्त दर से निर्घारित राशि की वसूली नहीं की गई है अतः उक्त राशि को बिजली बोर्ड से वसूल करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब करें तथा भविष्य में इसकी वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिषचित की जाये।

¼N½ ekckbly Vkoj 'kYd dh olyh u djuk

अकेंक्षण के दौरान पाया गया कि न0प0 परिधि में ।पतजमस कम्पनी का मोबाइल टावर वर्ष 2006 से पहले स्थापित किया गया था। हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या क्ण्क्म्ट;प्ज्द्ध 2005;डपेबद्ध दिनांक 22/8/06 के अनुसार न0प0 क्षेत्र में लगने वाले टावर से वार्षिक शुल्क मु0 5000/–रु प्रति वर्ष लिया जाना अपेक्षित था परन्तु उक्त कम्पनी से इस शुल्क की अभी तक वसूली नहीं की गई अतः वर्ष 2006–07 से अब तक मु0 5000/–रु प्रति वर्ष की दर से निर्धारित शुल्क की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये तथा भविष्य में इसकी वसूली नियमित रूप से की जाना सुनिषचित की जाये।

7 LFkkiuk %

¼d½ n; nj ls vf/kd nj ij Hkkxrku dk dkj.k xgdj dk e0 425@&# dk vf/kd Hkkxrku

श्री किषन चन्द सफाई कर्मचारी को 1–4–2007 से 31–8–2008 तक मूलवेतन के अनुसार आवास किराया भत्ता मु0 175/–रु प्रति मास की दर से देय था जबकि उन्हें उपरोक्त अवधि में मु0 200/–रु प्रतिमास की दर से भुगतान किया गया जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा मु0 25/–रु प्रतिमास (200–175) की दर से अधिक भुगतान की गई कुल मु0 425/–रु की राशि तथा अन्य इसी प्रकार के प्रकरण की विभागीय जांच करके अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये।

¼[k½ lok iftdk miyC/k u djokuk

श्री चमनलाल, सचिव की सेवापंजिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके परिणाम स्वरूप देय वेतन का भुगतान से सत्यापन नहीं किया जा सका। उपरोक्त अधिकारी नादौन से स्थानान्तरित हो चुके थे।

¼x½ vuqcU/k fu;fDr dh Lohd`fr izkIr u djuk

श्री बलवीर सोनी को सहायक ड्राफटमैन के पद पर अनुबन्ध आधार रखा गया था तथा इन्हें अंकेक्षण अवधि में निम्न रूप में भुगतान किया गया लेकिन इसके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से आपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये।

मास	वाऊचर संख्या	राषि
7/2007	4	6030
5/2008	5	6030

¼?k½ मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 10 द्वारा मु0 130141/–रू की राशि अन्तिरम राहत के बकाये के रूप में भुगतान की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

¼1½ Jh peu yky dk e0 480@&# dk vf/kd Hkxrku

श्री चमनलाल की 1/2007 से 6/2007 की अवधि की बकाया राशि अंकेक्षण गणना अनुसार मु0 4170/–रु बनती थी लेकिन इसके विरूद्ध मु0 4656/–रु की राशि भुगतान की गई परिणामस्वरूप मु0 480/–रु की राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाये। अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाये।

¼2½ fu;fDr dh frfFk l iol dh vof/k dk e0 233@&# dk vufpr Hkxrku

निम्न कर्मचारियों द्वारा नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 6/9/2008 बाद दोपहर को कार्य ग्रहण किया गया। इस प्रकार इन्हें वेतन पर अन्तिरम राहत 7/9/2007 से देय थी लेकिन इनको अन्तरिम राहत के बकाये की गणना 1/9/2007 से की गई। परिणामस्वरूप प्रत्येक के आगे दर्षाई गई कुल मु0 233/–रु की राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

depkjh dk uke	n; cdk;k	Hkxrku	vf/kd Hkxrku	vof/k
राजेश त्रिवेदी	3555	3678	123	9/07 से 2/08
नरेन्द्र	1607	1662	55	9/07 से 2/08
रमेश चन्द	1607	1662	55	9/07 से 2/08
			233	

¼3½ e0 1200@&# dh jkf'k dk vufpr tek djokuk

मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 6 द्वारा मु0 62767/–रु की राशि विभिन्न कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों के फलस्वरूप भविष्य निधि खातों में जमा करवाई गई। इसमें मु0 1200/–रु की राशि श्रीमति कमलेश कुमारी के भविषय निधि खाते में जमा करवाई गई। वेतन बिल के अवलोकन पर पाया गया कि इस मास में इसके वेतन की निकासी नहीं हुई थी। जब इसका वेतन बिल पारित नहीं हुआ था तथा इसके वेतन में से भविष्य निधि अंषदान की कटौती नहीं हुई थी तो इसके भविष्य निधि खाते में पालिका निधि से उपरोक्त राशि जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यह राशि निकाल कर पालिका निधि में जमा करवाई जाऐ।

¼p½ e0 221@&# dh jkf'k dk vf/kd Hkxrku

मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 2 द्वारा मु0 453.78/–रु की राशि मास 7/2008 के वेतन के रूप में भुगतान की गई जिसमें नरेन्द्र कुमार को मु0 6605/–रुकी राशि भुगतान की गई। अंकेक्षण में की गई गणना के अनुसार इनके वेतन की देय राशि मु0 6384/–रू बनती थी। परिणामस्वरूप मु0 221/–रु का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाऐ।

¼N½ cnh Hkrk d QyLo:i e0 20060@&# dk vuqfpr Hkqxrku

निम्न कर्मचारी मिस्त्री के पद पर कार्यरत थे। यह तृतीय श्रेणी के पद थे परिणामस्वरूप इन्हें वर्दी भता देय नहीं था लेकिन इन्हें वर्दी भते का मु0 170/–रु प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा था जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा इन्हे अनियमित रूप से अधिक भुगतान मु0 20060/–रु की राशि सम्बन्धित से वसूल करके जमा करवाई जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाऐ।

deZpkjh dk uke	Hkqxrku ifrekg	dqy Hkqxrku	vof/k
श्री जोगेन्द्र सिंह	170	15810	1.4.2002 से 31.12.2009
श्री बिहारी लाल	170	4250	1.9.2007 से 31.12.2009
		20060	

¼t½ e0 85@&# dh jkf'k dk vf/kd Hkqxrku

श्री कुलदीप कुमार लिपिक की सेवा पत्रिका के अवलोकन पर पाया गया है वह 1.7.2008 से 7.7.2008 तक अर्जित अवकाश पर थे परिणामस्वरूप इन्हें 1.7.2008 से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का वितीय लाभ 8.7.2008 से दिया जाना आपेक्षित था लेकिन यह 1.7.2008 से ही दे दिया गया जिसके परिणामस्वरूप मु0 85/–रु का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अविलम्ब की जाये।

oru of) nj	vf/kd Hkqxrku
150	34 मूलवेतन
	18 महंगाई वेतन (क्ण्च्)
	3 अन्तिरम राहत
	31 महंगाई भता
	85

¼>½ vf/kd okf"kd osru of) fn;s tkus ds QyLo:i Jh tksfxUnz flag feL=h dks e0 5284@&# dk vf/kd Hkqxrku

सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि श्री जोगिन्द्र सिंह को वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण, निर्धारित किया जाने वाला मूलवेतन कम बनता था लेकिन इसका निर्धारण अधिक किया गया, परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार मु0 5284/–रु का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। अन्यथा अधिक भुगतान की राशि सम्बन्धित से वसूल की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये तथा भविष्य में नियमों के अन्तर्गत ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

ns; eyo ru	Hkqxrku eyo ru	vf/kd Hkqxrku eyo ru	vf/kd egxkbZ osru	vf/kd vfUre jkgr	vf/kd egxkbZ Hkrk	dqy ekfld vf/kd Hkqxrku	dqy vf/kd Hkqxrku	vof/k
4260	4320	60	30	5	33	128	768	1.1.07 से 30.6.07
4260	4320	60	30	5	39	134	804	1.7.07 से 31.12.07
4400	4460	60	30	5	45	140	840	1.1.08 से 30.6.08
4400	4460	60	30	5	51	146	438	1.7.08 से 30.9.08
4400	4460	60	30	9	53	152	456	1.10.08 से 31.12.08
4550	4610	60	30	9	53	152	152	1.1.09 से 31.1.09
4550	4610	60	30	18	58	160	1826	1.2.09 से 31.12.09
							5284	

¼¥½ xyr osru fu/kkZj.k ds QyLo:i e0 7613@&# dk vf/kd Hkqxrku

श्री बिहारी लाल मिस्त्री को मु0 3120–5160 वेतन मान पर दिनांक 21.8.07 से नियमित किया गया। सेवा पत्रिका के अवलोकन पर पाया गया कि इन्हें दिनांक 21.8.07 को कार्यग्रहण पर मूलवेतन मु0 3220/–रु निर्धारित किया गया जबकि यह मु0 3120/–रु निर्धारित किया जाना था। परिणामस्वरूप इन्हें निम्न विवरणानुसार मु0 7613/–रु का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह अधिक भुगतान की गई राशि सम्बन्धित से वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

ns;	Hkqxrk	vf/kd Hkqxrku ifrekg	dqy	vof/k

ewyo ru	u ewyo ru	ewyor u	egxkb oru	vkfUrj e jkgr	egxkb HkÙkk	dy	vf/kd Hkxrku	
3120	3220	100	50	8	65	223	971	21.8.07 से 31.12.07
3120	3220	100	50	8	74	234	1792	1.1.08 से 30.6.08
3120	3220	100	50	8	85	243	243	1.7.08 से 31.7.08
3220	3330	110	55	8	93	266	532	1.8.08 से 30.9.08
3220	3330	110	55	17	98	280	1120	1.10.08 से 31.1.09
3220	3330	110	55	33	107	305	1830	1.2.09 से 31.7.09
3330	3440	110	55	33	107	305	1525	1.8.09 से 31.12.09
							7613	

¼V½ n; vodk'k l vf/kd vodk'k dh Lohdfr

श्री रमेश चन्द बेलदार को दिनांक 14.9.07 से 25.9.07 तक 12 दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया जबकि उसे केवल 7 दिन का अर्जित अवकाश ही देय था। परिणामस्वरूप इसे 5 दिन का अर्जित अवकाष अधिक स्वीकृत किया गया जिसका औचित्य सपष्ट किया जाऐ। अन्यथा इस अवधि के वेतन भुगतान की विभागीय गणना करके इसकी वसूली की जाऐ तथा भविष्य में इस त्रुटि को न दोहराया जाऐ।

¼B½ 17 fnu dk vf/kd vftr vodk'k

सेवा पत्रिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति प्रत्येक के आगे दर्षाई गई तिथियों से की गई। अर्जित अवकाश नियम 1972 के अनुसार नई नियुक्ति पर जिस दिन कार्य ग्रहण किया हो, उसे उस छमाही में प्रत्येक पूर्ण मास के लिये 2–1/2 दिन अर्जित अवकाश देय बनता है लेकिन इन प्रकरणों में अवकाश खातों देय अवकाश से ज्यादा जमा कर दिया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्षाई मात्रा अधिक जमा की गई जिसका औचित्य सपष्ट किया जाऐ अन्यथा अधिक जमा

की गई अर्जित अवकाश को कम करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाऐ।

dk;Zxg.k dh frfFk	ftl Nekgh dk vftZr vodk'k tek fd;k	ns; vftZr vodk'k	tek fd;k x;k vftZr vodk'k	vf/kd tek	deZpkjh dk uke
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	जीवन कुमार
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	केहर सिंह
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	हंस राज
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	सर्वण कुमार
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	किषन चन्द
6.9.07	21.8.07 से 31.12.07	7—1/2 दिन	10 दिन	2—1/2 दिन	रमेश चन्द
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	सुरजीत सिंह
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	हंस राज
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	सतीश कुमार
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	देव राज
21.8.07	21.8.07 से 31.12.07	10 दिन	11 दिन	1 दिन	बिहारी लाल
6.9.07	21.8.07 से 31.12.07	7—1/2 दिन	10 दिन	2—1/2 दिन	नरेन्द्र
27.7.07	21.8.07 से 31.12.07	12—1/2 दिन	14 दिन	1—1/2 दिन	सोम राज
27.7.07	21.8.07 से 31.12.07	12—1/2 दिन	13 दिन	1/2 दिन	छिन्द देवी
				17 fnu	

¼M½ vodk'k ntZ u djuk

अंकेक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर व आकस्मिक अवकाश रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों के खातों में आकस्मिक अवकाश देय नहीं था

परन्तु उन्हें आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया तथा इसे आकस्मिक अवकाश खाते में दर्ज भी नहीं किया गया।

de la[;k	deZpkjh dk uke	ekl	vof/k ftl fnu vodk'k fn;k x;k	dqy fnu
1	सतीश चन्द	7/8 व 8/8	1.7.08 व 2.7.08, 18.8.08 व 19.8.08	4 दिन
2	जीवन कुमार	8/8	11.8.08, 12.8.08, 19.8.08 व 20.8.08	4 दिन
			dqy fnu	8 fnu

अतः आकस्मिक अवकाश देय न होने की स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अवधि का यथा देय अवकाश स्वीकृत किया जाऐ अन्यथा उपरोक्त अवधि के वेतन भुगतान की विभागीय तौर पर गणना करके इसकी वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाऐ।

¼<½ ikl cqd miyC/k u djokuk

निम्नलिखित राशियाँ डाकघर/बैंक बचत खातों में वेतन से भविष्य निधि की कटौती के रूप में जमा करवाई गई लेकिन इनके डाकघर/बैंक में जमा होने के प्रमाण में पास बुकें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः वांछित सूचना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाऐ।

ekl	okÅpj la[;k	jkf'k	deZpkjh dk uke
7/2007	8	4200	चमनलाल
7/2007	11	3350	यथोपरि
8/2008	6	5000	यथोपरि
8/2008	10	12578	यथोपरि

8 O;; ¼&

¼d½ O;; dks gkÅl ls vuqeksfnr u djokuk

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि व्यय को हाऊस से पारित नहीं करवाया गया जबकि निदेषक शहरी विकास के पत्र संख्या 1–63/06 न्द ;नकपजद्ध क.टवस.1ण्12812ण्12861 दिनांक 15.11.06 द्वारा प्रत्येक व्यय को हाऊस से अनुमोदित करवाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे लेकिन उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत जारी निर्देषों की अनुपालना नहीं की गई तथा स्थिति यथावत जारी थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण अवधि के

सम्पूर्ण व्यय को हाऊस से अनुमोदित करवाया जाऐ तथा भविष्य में भी अपेक्षित प्रक्रिया अपनाई जानी सुनिष्चित की जाऐ।

lQkbZ Bsdk

¼[k½ lQkbZ Bsds dk vfu;fer vkcaVu

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1.7.08 से 31.3.09 के लिए वार्ड न0 1 से 5 की सफाई हेतु दिनांक 20.06.08 को निविदाएं आमंत्रित की गई तथा सफाई ठेके का आबंटन सोनू को मु0 24000/–रु प्रति माह पर दिया गया। ठेके की शर्त अनुसार सोनू को एक सप्ताह के भीतर न0प0 के साथ अनुबन्ध करना था परन्तु अपेक्षित अनुबन्ध नहीं किया गया तथा न0प0 द्वारा सफाई ठेके का आबंटन दूसरे निविदाकार श्री बंसी लाल को मु0 32400/–रु प्रति माह पर दिनांक 1.7.08 को किया गया। नियमानुसार सोनू द्वारा अनुबन्ध न किये जाने के कारण पूर्व निविदाएं रद करके पुनः निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थी या नैगोशियेषन करके प्रथम निविदाकार की दरों तक कम किया जाना था। दरें नैगोशियेट न करने के कारणों से भी अवगत करवाया जाऐ।

इस प्रकार न0प0 द्वारा मु0 8400/–रु प्रतिमाह (32400–24000) अधिक पर सफाई ठेके का आबंटन का औचित्य स्पष्ट किया जाए या अवधि 1.7.08 से 31.3.09 तक 75600/–(8400ग 9) का जो अधिक भुगतान सफाई ठेके के लिए किया गया उतरदायित्व निर्धारित करके वसूली की जाऐ।

इस सन्दर्भ में सोनू ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति फोरफीट की जानी आपेक्षित थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।

¼x½ ¼uit jftLVj esa bUnjkt u djuk

निम्न राशियां श्री जे.सी शर्मा एडवोकेट को लीगल नोटिस 1 स्टेषनरी चार्जिज के रूप में विभिन्न मुकदमों की पैरवी के लिए भुगतान की गई लेकिन इन मुकदमों का विवरण तथा न्यायलय के फैसले का विवरण प्रत्येक मुकदमें पर कितना व्यय हुआ, का विवरण "नपज रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। आपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाऐ।

ekl	okÅpj la[;k	Hkqxrku jkf'k
8/2008	54	1200
8/2008	60	1590

¼?k½ नगर पंचायत द्वारा दिनांक 28.5.08 को अवधि 1.6.08 से 31.3.09 तक सफाई कार्य को ठेके पर देने हेतु निविदायें आमन्त्रित की गई तथा निविदा के साथ मु0 20000/–रु की प्रतिभूति राशि निष्चित की गई जिसमें सम्बन्धित फाईल मे संलग्न साधारण कागज़ पर निम्न से प्रतिभूति राशि प्राप्त की गई व वापिस की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई ।

1.	राजकुमार	20000/–रु
2.	बबलू	20000/–रु
3.	तेजपाल	20000/–रु

¼1½ <u>iklr jkf'k d fo:) th-8 jlhn tkjh u djuk</u>

¼2½ इनकी वसूली हेतु जी 8 प्रपत्र पर रसीद जारी नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाऐ।

इस प्रकरण की पत्राचार फाइल के अवलोकन पर पाया गया कि एक कुटेषन प्राप्त होने के कारण इसे रद कर दिया गया। यह कुठेषन राज कुमार द्वारा दी गई थी जो कि सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि श्री बबलू व श्री तेजपाल ने भी प्रतिभूति राशि जमा करवाई थी तथा अगर इन्होंने प्रतिभुति राशि जमा करवाने के बाद कुटेषन नहीं दी तो इनकी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाना आपेक्षित था। इन्हें प्रतिभूति राशि किस आधार पर वापिस की गई, स्पष्ट किया जाऐ। अगर इनके द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करवाई गई थी तो इन द्वारा निविदा भी दी जानी थी। अतः यह प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी छानबीन की जाऐ तथा परिणामों से तदानुसार अवगत किया जाऐ।

¼t½ मास 7/2007 के वाऊचर संख्या 36 द्वारा मु0 59,250/–रु की राशि श्री संजय कुमार शर्मा को टाइलों के क्रय पर भुगतान की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

<u>dVs'ku ukfVl lekpkj i= d ek/;e ls foKkfir u djuk</u>

¼1½ इस क्रय हेतु टैन्डर/कुटेषन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया गया जबकि इस क्रय हेतु कुटेषन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाषित करना अपेक्षित था। अगर इसे प्रकाषित किया जाता तो दरों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा होती तथा न्यूनतम दरों का लाभ उठाया जाता। अतः कुटेषन नोटिस समाचार पत्र में प्रकाषित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐ।

¼2½ <u>e044509@&# dk vko';drk ls vf/kd d;</u>

उक्त वाऊचर द्वारा 7500 टाईलें क्रय की गई। भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 28.7.2007 तक केवल 1866 टाईलें ही उपयोग में लाई गई तथा शेष 5634 टाईलें जिनका मुल्य 7/90 रु प्रति टाईल की दर से मु0 44509/–रु बनता है

अभी तक उपयोग नहीं की गई। इस प्रकार बिना आवष्यकता से इस क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा इस अनुचित क्रय हेतु उतरदायित्व निर्धारित करके तदानुसार कार्यवाही की जाऐ।

¼>½ _.k dk fo:) _.k fooj.k iLrqr u djuk

मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 26 द्वारा मु0 2,60,000/–रु की राशि "हैज बवतचवतंजपवद को ऋण राशि के रूप में भुगतान की गई लेकिन यह ऋण कब लिया गया, कितना लिया गया, कितना वापिस किया गया तथा कितना ब्याज दिया गया तथा ऋण की शर्तें क्या थी आदि का कोई विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित कार्पोरेषन से ऋण के खाते की विवरणी प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाऐ।

¼¥½ e0 1060@&# dk ;k=k HkÙkk dk :i e vf/kd Hkxrku

श्री चमनलाल द्वारा प्रवास अवधि में अपने वाहन का प्रयोग किया था जिसके लिऐ उन्हें मु0 2/–रु प्रति किलोमीटर की दर से डपसमंहम ।ससवूंदबम दिया गया जबकि सरकार द्वारा जारी मितव्ययता निर्देषों के अन्तर्गत ये अपने वाहन में यात्रा करने के पात्र नहीं थे। अतः इन्हें बस किराया ही देय था। परिणामस्वरूप इन्हें मु0 1060/–रु की राशि यात्रा भत्ता के रूप में अधिक भुगतान की गई जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि सम्बंधित से वसूल करके जाम करवाई जाऐ।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	okgu }kjk ;k=k dju ij fn;k ekbyt HkÙkk	n; cl fdjk;k	vf/kd Hkxrku	r; njh
7/2007	21	2223	1456	520	936	728 कि0मी0
8/2008	21	874	224	100	124	112कि0मी0
					1060	

¼V½ okLrfod izkfIr jlhn izkIr u djuk

निम्न भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त नहीं की गई। परिणामस्वरूप इन भुगतानों की पुष्टि नहीं हो सकीं आपेक्षित वास्तविक प्राप्ति रसीदें अब प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाऐ।

ekl	okÅpj l[;k	jkf'k	ftl dk Hkxrku gvk
7/2007	9	390	भारतीय जीवन बीमा निगम

7/2007	21	2223	चमनलाल
7/2007	22	645	यथोपरि
7/2007	23	1020	कृष्णा देवी
8/2008	15	390	भारतीय जीवन बीमा निगम

¼B½ dVs'ku ukfVl lekpkj i= ds ek/;e ls foKkfir u djuk

निम्न राशियां बिजली के सामान के क्रय पर व्यय की गई तथा यह सामान मै इन्टरनैषनल ट्रेडर्ज दिल्ली से क्रय किया गया। इस क्रय हेतु टैन्डर/कुटेषन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया गया जबकि क्रय हेतु कुटेषन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित करना आपेक्षित था तथा अगर समाचार पत्र के माध्यम से इसे विज्ञापित किया जाता तो अधिक प्रतिस्पर्घा होती तथा दरों का अधिक लाभ उठाया जा सकता था। क्रय हेतु कुटेषन नोटिस समाचार पत्र में विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐ। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 1 पर दर्षाया गया बिल डुप्लीकेट था। अतः मूल बिल की अपेक्षा डुप्लीकेट बिल का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाऐ तथा यह भी प्रमाणित किया जाऐ कि मूल बिल के विरूद्ध भुगतान नहीं किया गया है।

dze la[;k	ekl	okÅpj la[;k	jkf'k
1	7/2007	47	148025
2	8/2008	68	94865

¼M½ l{ke izkf/kdkjh dh Lohd`fr ds fcuk nSfud osru Hkksxh lQkbZ deZpkfj;ksa dh rSukrh

निम्न राशियां दैनिक वेतन पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को भुगतान की गई। निदेषक शहरी विकास के पत्र संख्या न्व.भ्;ठद्ध;15द्ध 1क्ष्98 दिनांक 14.7.2000 द्वारा जारी निर्देषों के अन्तर्गत सफाईकार्य के निजिकरण के कारण कोई भी कर्मचारी सफाई कार्य के लिऐ नियुक्त नहीं किया जाना था। नगर पंचायत द्वारा सफाई कार्य ठेके पर दिया गया लेकिन इसके बावजूद नये सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन पर भी रखे गये लेकिन इनकी तैनाती हेतु निर्देषक शहरी विकास से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाऐ अन्यथा इनकी तैनाती को उपरोक्त अधिकारी से स्वीकृत करवाया जाऐ अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

ekl	okÅpj	Hkqxrku	lQkbZ	vU; fVIi.kh

	l[;k	jkf'k	deZpkfj;ksa dh l[;k	
7/2007	18	9000	8	मस्टरोल पर तैनाती अवधि अंकित नहीं थी
8/2008	4	10,000	4	यथोपरि

¼<½ Cusl Lbour dh vfu;fer rSukrh

निम्न राशियां नये ब्नंस संइवनत की तैनाती पर व्यय की गई जबकि सरकार द्वारा नई ब्नंस संइवनत की तैनाती प्रतिबन्धित की गई थी तथा इसके लिये सरकार से पूर्व स्वीकृति आपेक्षित थी लेकिन इनकी तैनाती हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृती लेकर नियमित करवाया जाऐ।

ekl	okÅpj l[;k	Hkqxrku jkf'k	Cusl Lbour dh l[;k
7/2007	184	1800	4
8/2008	20	19,600	7
		¼okÅpj dh dqy jkf'k 23037½	

¼.k½ मास 7/2007 के वाऊचर संख्या 28 द्वारा मु0 50000/–रु की राशि अधिषाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर को स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु भुगतान की गई जिसमें निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई।

¼1½ okLrfod izkfIr jlhn miyC/k u djokuk

इस भुगतान के समर्थन में वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप इस भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। इस भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ

¼2½ mi;ksfxrk izek.k i= izkIr u djuk

कार्यालय की नस्ति नोट के अनुसार यह राशि विधायक निधि के रूप में प्राप्त दर्षाई थी तथा बिल/वाऊचर की नोटिंग पर पाया गया कि इस राशि को विधायक के निर्देषानुसार उपरोक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को दिया गया लेकिन इसका न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा न ही कोई विवरण स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सम्बन्धित विभाग से इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाऐ तथा यह भी सत्यापित किया जाऐ कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

¼r½ e0 50000@&# dh LVªhV ykbZV dh {kfrizfrZ u djuk

नगर पंचायत के स्ट्रीट लाईट के 11 बल्ब राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा पेड़ों के काटने सेटूट गये थे। नगर पंचायत द्वारा इसकी कीमत मु0 50000/–रु निर्धारित की गई थी तथा पत्र संख्या छच ;छक्छद्व?2007. निर्माण 773 दिनांक 17.8.2007 द्वारा उपरोक्त

प्राधिकरण को मु0 50000/—रु की क्षतिपूर्ती हेतु अनुरोध किया था। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत किया गया कि यह क्षतिपूर्ती राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह प्रकरण नगर पंचायत द्वारा पुनः नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाऐ तथा इस राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से यह प्रकरण उठाया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

9 fuek.kdk;l

¼Q½ दिनांक 4.6.2008 को उंजमतंस पेनम ंतम तमबवअमतल तमहपेजमत के पृष्ठ संख्या 71 पर 145 बोरी सीमेंट, माप पुस्तक 30 के पृष्ठ संख्या 2 पर उपयोग व इसकी वसूली दर्षाई गई जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :—

¼1½ e0 2400@&# dh de olyh

माप पुस्तक के अवलोकन पर पाया गया कि 145 बोरी सीमेंट की मु0 20800/—रु वसूली की गई जबकि इसकी पेनम पर मु0 160/—रु प्रति बैग की दर से मु0 23200/—रु की वसूली आपेक्षित थी मु0 2400/—रु की कम वसूली की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यया यह राशि श्री पंकज विज ठेकेदार से वसूल करके पालिका निधि में जमा करवाई जाये।

¼2½ e0 480@&# dh de olyh

निर्माण कार्य में निष्पादित मदों के अनुसार सीमेंट की कुल खपत (+)(—) अंतपंजपवद अनुसार 142 बोरी सीमेंट बनती थी। इस प्रकार 3 बौरी सीमेंट खपत से अधिक जारी किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा 3 बोरी सीमेंट की दण्ड दर (च्ंदमस तंजम) जो कि मु0 320/—रु प्रति बोरी की दर (320—160)ग3 मु0 480/—रु की अतिरिक्त वसूली की जाये।

¼[k½ 10 ckjh lheV dh de olyh

उंजमतंस पेनम ंतम तमबवअमतल तमहपेजमत के पृष्ठ संख्या 77 पर दिनांक 29.4.2006 तक श्री संजय कुमार ठेकेदार को 255 बोरी सीमेंट जारी किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 8.5.2006 को इनडैंट संख्या 26 द्वारा 50 बोरी सीमेंट और जारी किया गया। इस तिथि को कुल जारी सीमेंट की मात्रा 305 की अपेक्षा जारी सीमेंट 295 दी दर्षाया गया तथा तदानुसार ही सीमेंट की वसूली की गई। परिणामस्वरूप 10 बोरी सीमेंट की कम वसूली हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी च्ंदमस तंजम जो कि पेनम तंजम मु0 160/—रु से दो गुना मु0 320/—रु प्रति बोरी बनता है की मु0 3200/—रु की राशि वसूली की जाये।

¼x½ vk;dj o fcdhdj dk tek u djokuk

मास 7/2007 के वाऊचर संख्या 32 द्वारा मु0 32634/—रु की राशि रमेश चन्द को भुगतान की गई। बिल के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें आयकर व बिक्री कर की

क्रमशः मु0 1777/—रु व मु0 1615/—रु की कटौती की गई लेकिन इसके विरूद्ध सरकारी कोष में क्रमशः मु0 1372/—रु व मु0 1248/—रु की राशि ही जमा हुई परिणामस्वरूप आयकर की मु0 405/—रु व बिक्रीकर की मु0 367/—रु की राशि कम जमा करवाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम जमा करवाई गई राशि अब जमा करवा करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

¼?k½ fuekZ.k dk;Z dk foyEc ls iw.kZ djus dk QyLo:i ns; n.M jkf'k dh olwyh u djuk

मास 7/2007 के वाऊचर संख्या 32 द्वारा मु0 32634/—रु की राशि श्री रविन्द्र कुमार को ह0 `जतममज तिवउ भ्?ट क्मसपच बींदक जव ैण त्उमी बेंदक ूतक के निर्माण कार्य पर भुगतान की गई। निर्माण कार्य की कुल लागत मु0 80752/—रु थी। इस निर्माण कार्य को दिनांक 15.6.2006 को आबंटित किया गया तथा इसे पूर्ण करने की अवधि 3 मास थी। कार्य को विलम्ब से पूर्ण करने के परिणामस्वरूप मु0 250/—रु प्रतिदिन अधिकतम मु0 50000/—रु दण्ड की शर्त रखी गई थी। यह निर्माण कार्य दिनांक 12.7.2007 को विलम्ब से पूर्ण किया गया लेकिन ठेकेदार से विलम्ब कार्य हेतु अनुबन्ध/आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार दण्ड प्रभार की वसूली नहीं की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा देय दण्ड की विभागीय गणना करके वसूली की जाये। इसके अतिरिक्त इस निर्माण कार्य के विरूद्ध सक्षम प्रधिकारी की तकनीकी स्वीकृती नहीं दर्षाई गई जो कि तलाश की जाये तथा अगर व्यय तकनीकी स्वीकृती से बड़ गया हो तो इसकी सक्षम अधिकारी से संषोधित तकनीकी स्वीकृती प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

¼3½ ,e0,0,l es 'ks"k lkeku dk LVkd esa gLrkUrfjr u djuk

एम0ए0एस रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों को पूर्ण हुए काफी समय हो गया था तथा इनके शेष सामान को अभी तक स्टाक में हस्तान्तरित नहीं किया गया। इस शेष सामान की वास्तविक प्रत्यक्ष रूप में न होने की आषंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन प्रकरणों की विभागीय प्रत्यक्ष जांच की जाये तथा मात्रा कम होने की स्थिति में इसकी बाजार दर से वसूली की जाये।

dk;Z lekfIr dh frfFk	M.A.S i"B l[;k	en dk uke	ek=k	fuekZ.k dk;Z dk uke
1.3.2006	49	सीमेंट	12बोरी	ब्0 त्मजंपदपदह ूंसस पद जीम इंबा व पिदकनेजतपंस उंतामज
1.3.2006	49	रेत	90उ³	.कव.
31.3.2006	57	सीमेंट	4बोरी	त्?व `जतममज चंअमउमदज पद ू दव 7 – वसक इने `जंदक पद ू दव 7
31.3.2006	57	रेत	1 उ³	.कव.
31.3.2007	107	सीमेंट	4बोरी	त्?व च्ता पद छण्च छंकंनद पद ू दव 3
22.6.2007	123	बजरी	30उ³	च ूेण– 5ण्4ण तमींद इेंतंण

¼p½ 4 ckjh lheasV dh vf/kd [kir

एस0ए0एस रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि रिटेनिंग वाल से षिव मन्दिर के निर्माण कार्य पर माप पुस्तिका संख्या 29 पृष्ठ संख्या 47 पर 28 बोरी सीमेंट खपत दर्षाई गई जबकि उपरोक्त निर्माण कार्य में निव्यादित मदों की मात्रा अनुसार 24 बोरी सीमेंट की खपत आपेक्षित थी। इस प्रकार 4 बोरी सीमेंट की अधिक खपत दर्षाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाये।

¼N½ fuekZ.k dk;ksZa esa VsLV pSd u djokuk

प्रायः यह पाया गया है कि अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों में उच्च अधिकारीसे टैस्ट चैक नहीं करवाया गया है जबकि नियमों के अन्तर्गत टैस्ट चैक सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना आपेक्षित था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त औपचारिकता के अभाव में किये गये भुगतान का औचित्य दिया जाए तथा भविष्य में इस चूक को न दोहराया जाये।

¼t½ dksVs'ku nj ls vf/kd nj Hkqxrku esa eq0 403@&# vf/kd Hkqxrku

निम्न राशियां लोहे के जंगले के क्रय पर श्री नरेन्द्र सोनी नादौन को भुगतान की गई। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई संविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि इसकी दर मु0 54/–रु प्रति कि0ग्रा0 थी जबकि बिल में मु0 55/–रु प्रति कि0ग्रा0 भरी गई थी इस प्रकार मु0 403/–रु का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि सम्बंधित से वसूल की जाये।

ekl	okÅpj la[;k	ns; jkf'k	Hkqxrku jkf'k	vf/kd Hkqxrku
8/2008	30	1350	1375	25
8/2008	31	5465	5566	101
8/2008	32	2884	2937	53
8/2008	33	1736	1768	32
8/2008	34	8127	8277	150
8/2008	35	2290	2332	42
				403

10 LVkd ,o LVksj

¼d½ pwus dh [kir u n'kkZuk

अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 43 के अवलोकन पर पाया गया कि न0प0 द्वारा दिनांक 17.4.07 को 450 किलो चूने की खरीद की गई परन्तु इस की न तो खपत

दर्षाई गई तथा न ही उक्त चूने की मात्रा को स्टॉक में शेष दर्षाया गया जबकि इस अवधि के बाद न0प0 द्वारा जो भी चूना खरीदा गया उसकी खपत कर दी गई जिससे प्रतीत होता है कि उक्त मामले में न0प0 द्वारा चूने का बिल ही प्राप्त किया गया। अतः मामले मे विभागीय स्तर पर छानबीन करके वास्तविक स्थिति से विभाग को अवगत करवाया जाए अथवा चूने की खरीद के लिए खर्च की गई राशि की वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दर्षाई जाये।

¼[k½ <u>pwu dh ,d gh fnu e nk ckj [kjhn</u>

स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ44 के अवलोकन पर पाया गया कि न0प0 द्वारा दिनांक 19.10.07 को नारायण स्वरूप कांगड़ा से 200 किलो चूना खरीदा गया तथा उसी दिन चूने की खपत की दर्षाई गई तथा दिनांक 19.10.07 को जैन ट्रेर्डस नादौन से भी 408 किलो चूने की खरीद करके खपत की गई। एक ही दिन में दो विभिन्न जगह से चूने की खरीद करने का औचित्य दिया जाये अन्यथा अनुचित रूप से क्रय चूने की वसूली सम्बन्धित से करके जमा की जाए।

¼x½ <u>Hk.Mkj e 10 ckjh lheV dk de ik;k tkuk</u>

सीमेंट के भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया कि पृष्ठ संख्या 38 पर दिनांक 18.12.2008 को 171 बोरी सीमेंट भण्डार में शेष थे तथा दिनांक 23.12.08 को 30 बोरी सीमेंट जारी किये गये परिणामस्वरूप 141 बोरी सीमेंट शेष थी जबकि भण्डार में 131 बोरी सीमेंट शेष दर्षाया गया। इस प्रकार 10 बोरी सीमेंट भण्डार में कम दर्षाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी बाजार भाव से जो कि मु0 250/–रु प्रति बोरी थी की कुल कीमत जो कि मु0 2500/–रु बनती है, सम्बन्धित से वसूली की जाए। इससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत प्रषासन द्वारा लेखाओं के अनुरक्षण पर नियन्त्रण नहीं था जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रकरण सामने आये। नगर पंचायत प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि लेखाओं के अनुरक्षण पर पूर्ण नियन्त्रण रखे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुर्नावृति न हो। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ <u>Hk.Mkj dk iR;{k lR;kiu o buoUVjh jftLVj dk vuq/k u djuk</u>

अंकेक्षण में पाया गया कि भण्डार में पडे सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष/सत्यापन नहीं किया गया जो कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना आपेक्षित था। आपेक्षित कार्यवाई अब की जाए। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा इनवैंटरी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके आभाव में कितने भण्डार रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है, की पुष्टि नहीं हो सकी। इनवैन्टरी रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाये जिसमें प्रत्येक भण्डार रजिस्टर का सन्दर्भ अवधि आदि दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

11 <u>iU'ku</u>

¼d½ <u>ikfIr dk L=kr Li"V u djuk</u>

रोकड़ बही में निम्न राशियां प्रत्येक के आगे दर्षाई गई तिथियों को जमा की गई थी लेकिन इनकी प्राप्ति का स्त्रोत स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इनकी प्राप्ति की पुष्टि नही हो सकी। इन राशियों की प्राप्ति का स्त्रोत तलाश करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाये।

frfFk	jkdM cgh e: tek jkf'k
4.7.2007	711
5.7.2007	537
6.7.2007	553
10.7.2007	1560
11.7.2007	482

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाही अब की जाये।

¼[k½ d:.kk eyd dkj.kk l fu;fDr d QyLo:i ikfjokfjd iU'ku ij egxkb jkgr d vufpr Hkxrku d dkj.k e0 104522@&# dk vf/kd Hkxrku

श्री मति कमलेश कुमारी सफाई कर्मचारी को मु0 1310/–रु प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पैन्षन स्वीकृत की गई थी तथा दिनांक 24.6.2002 से इन्हें पति स्वर्गीय श्री राकेश कुमार की मृत्यु के कारण करूणामूलक आधार पर नियुक्ति दी गई थी। सरकार के पत्र संख्या थ्छण्ब् क;1द्ध.2000 दिनांक 22.1.2001 द्वारा जारी निर्देषों के अन्तर्गत अगर पारिवारिक पैन्षन धारक को करूणामूलक कारणों से नियुक्ति दी गई हो तो पारिवारिक पैन्षन पर मंहगाई राहत देय नहीं थी। अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि यद्यपि उपरोक्त कर्मचारी की नियुक्ति करूणामूलक कारणों से हुई थी लेकिन इन्हें पारिवारिक पैन्षन पर महंगाई राहत/आन्तिरम राहत का भुगतान किया जा रहा था जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार इन्हें दिनांक 24.6.2002 से 31.12.2009 तक (1310ग90 मास 10 दिन) मु0 118336/–रु की पारिवारिक पैन्षन के रूप में देय राशि तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर दर्षाये गये विवरणानुसार मु0 222878/–रु की भुगतान की गई राशि के अन्तर, जो कि मु0 104522/–रु बनता है, के अधिक भुगतान की वसूली की जाये तथा इसी प्रकार के अन्य भुगतान की विभागीय जांच करके उसकी भी वसूली तदानुसार की जाये।

¼x½ iU'ku 'k;j dk vufpr gLrkUrj.k

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि मास 5/2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के अधिकतम वेतनमान पर भी 17 प्रतिषत पैन्षन एवं ग्रैचुटी निधि में पालिका निधि से हस्तान्तरित किया जा रहा था जबकि मास 5/2003 के बाद नियमित नियुक्त कर्मचारियों पर पूर्व के पैन्षन नियम लागू नहीं होते हैं। अतः इन कर्मचारियों का उपरोक्त हिस्सा जिन

नियमों के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जा रहा है, स्पष्ट किये जायें अन्यथा इस प्रकार के हस्तान्तरण को तुरन्त बन्द किया जाये तथा उपरोक्त अवधि के बाद इस प्रकार की हस्तान्तरित राशि की विभागीय गणना करके इसे पैन्षन ग्रैचुटी निधि से निकाल कर पालिका निधि में हस्तान्तरित किया जाये।

12 okgu

rsy dh [kir fu/kkZfjr u djuk

न0प0 के पास ट्रेक्टर न0 भ्ब्–21–0337 था जो कि न0प0 क्षेत्र में कूड़ा उठाने के कार्य में प्रयोग में लाया जाता था। नियमानुसार वाहन का प्रतिवर्ष निरिक्षण सम्बन्धित विभाग से करवाया जाना था तथा निरीक्षण के अनुसार तेल की खपत निर्धारित की जानी चाहिए थी। अंकेक्षण के दौरान लॉग बुक की जांच करने पर पाया गया कि न0प0 द्वारा ट्रैकटर का कभी भी निरीक्षण नहीं करवाया गया।

अतः नगर पंचायत सम्बन्धित विभाग से वाहन का निरीक्षण करवाकर तेल की खपत निर्धारित की जाये तथा इस सन्दर्भ में कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाये।

13 vfxze %& सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना अनुसार जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट छ पर दिया गया है, 31.3.2009 कोई भी अग्रिम शेष नहीं था।

14 fu"d"kZ %& लेखाओं के रखरखाव में सुधार व कड़े निरीक्षण की आवष्यकता है।

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश षिमला–171009

i"Bkadu la[;k %& 5 (32)–थ्पद ;स्।क्द्ध३३३३णदिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न की सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

izfrfyfi 1. सचिव नगर पंचायत नादौन तहसील नादौन जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2. निदेषक शहरी विकास हि0प्र0 षिमला–171002

3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीयलेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.